








# इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, धर्मतिरंग पर चिंता, धार्मिक समाजों पर रोक लगाने की सिफारिश

प्रयाग दर्पण संवाददाता



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मतिरंग पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आप धार्मिक समाजों में इस तरह से धर्मतिरंग होता रहा तो एक दिन भारत की बहुसंस्कृत आजारी अनुसंधानक में बदल सकती है। यह टिप्पणी एक जनतिरंग याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें धार्मिक समाजों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने कैफियत में स्पष्ट किया कि धर्मतिरंग समाजों का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन इसका अनुच्छेद देता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म प्रचार का मतलब किसी का धर्म परिवर्तन करना नहीं है। इसके बदले में उनके खाइंडे को संविधान धार्मिक समाजों का अधिकार देता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

रोकने की आवश्यकता है। इस मामले में न्यायालय रोहित रंजन अग्रवाल ने एक अंतर्धान की जानत अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायालय रोहित रंजन अग्रवाल ने एक अंतर्धान की जानत अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायालय रोहित रंजन अग्रवाल ने एक अंतर्धान की जानत अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायालय रोहित रंजन अग्रवाल ने एक अंतर्धान की जानत अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायालय रोहित रंजन अग्रवाल ने एक अंतर्धान की जानत अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायालय रोहित रंजन अग्रवाल ने एक अंतर्धान की जानत अर्जी को खारिज कर दिया।